दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 15 मई, 2014
निर्णीत: 23 मई, 2014

<u>आप.अ. 362/2012</u>

रिज़वान @ भूरा ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री के.बी. एंडले, वरिष्ठ अधिवक्ता
सह श्री एम. शेख, अधिवक्ता

बनाम

दिल्ली राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश सॉहने, अति.लो.अभि.
एस.आई. राज कुमार, पुलिस थाना कल्याण पुरी

कोरमः
न्यायाधीश श्री एस.पी.गर्ग

<u>न्या. एस.पी.गर्ग</u>

1. इस अपील में सत्र वाद संख्या 28/08 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 के दिनांक 25.02.2012 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जो थाना कृष्णा नगर में पंजीकृत प्राथमिकी संख्या 296/06 से उत्पन्न हुआ था, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 392/397 भा.दं.सं. और 25 शस्त्र अधिनियम

के तहत दोषी ठहराया गया था। दिनांक 29.02.2012 के आदेश द्वारा उसे जुर्माने के साथ विभिन्न कारावास अवधियों की सजा सुनाई गई थी।

2. संक्षेप में कहा जाए तो, आरोप-पत्र में दर्शाया गया अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दिनांक 03.11.2006 को लगभग 11:45 बजे, हिमगिरी ऑटोमोबाइल, कांति नगर, रोड नंबर 57, दिल्ली के सामने, अपीलार्थी और उसके साथियों आसिफ और ढिल्लू फुरकान (अब दोषमुक्त) ने पिस्तौल की नोक पर शिकायतकर्ता संजय महाजन से 30,000/- रुपये लूट लिए। शिकायतकर्ता द्वारा शोर मचाने पर, अपीलार्थी को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से लूटी गई वस्तुएं बरामद की गईं। उसके पास एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी मिले। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान, आसिफ और ढिल्लू फुरकान को गिरफ्तार किया गया और शनाख़्त की कार्यवाही की गई। जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता और उसके साथियों के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया; उन पर विधिवत आरोप लगाए गए और वाद चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने अपना अपराध सिद्ध करने के लिए 11 गवाहों का परीक्षण किया। 313 के बयान में, आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और झूठे आरोप लगाए जाने का अभिवचन किया। विचारण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को पूर्वोक्त रूप से दोषी ठहराया गया। आसिफ और ढिल्लू फुरकान को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया

गया। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि राज्य ने उनके दोषमुक्त होने को चुनौती नहीं दी।

3. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को उसके सही और उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और बिना किसी वैध कारण के अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विसंगतियों और सुधारों को नजरअंदाज कर दिया। अपीलार्थी और शिकायतकर्ता की मेडिकल जांच नहीं की गई। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपीलार्थी के कब्जे से कट्टा बरामद होने के सटीक स्थान के बारे में असंगत बयान दिए। उन्हीं सबूतों के आधार पर सह-आरोपी आसिफ और ढिल्लू फुरकान को बरी कर दिया गया। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि साक्ष्य के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है और शिकायतकर्ता पर अविश्वास करने के लिए कोई ठोस कारण मौजूद नहीं है।

4. शिकायतकर्ता संजय महाजन से 30,000/- रुपए लूटने की घटना दिनांक 03.11.2006 को लगभग 11:45 बजे हुई। शिकायतकर्ता अपने व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली आया था और उससे एक खाली चेक, जिस पर उसकी पत्नी रजनी महाजन के हस्ताक्षर थे, भी लूट लिया गया था। शिकायतकर्ता के शोर मचाने पर जब उस टीएसआर का पीछा किया गया, जिसमें हमलावर अपराध के पश्चात भागे थे, अपीलार्थी रिजवान उर्फ भूरा को शीघ्र ही पकड़ लिया गया। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता संजय महाजन के

बयान (प्र.अभि.सा.-2/1) दर्ज करने के पश्चात तत्परतापूर्वक अपराह्न 02:45 बजे रुक्का को भेजकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। शिकायत में संजय महाजन ने घटना का विस्तृत विवरण दिया कि कैसे और किन परिस्थितियों में टीएसआर में तीन हमलावरों ने पिस्तौल की नोक पर उनसे 30,000/- रुपये और भारतीय स्टेट बैंक का चेक लूट लिया। उन्होंने अपीलार्थी की गिरफ्तारी और उसे डराने के लिए इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल की बरामदगी के बारे में भी खुलासा किया। चूंकि प्राथमिकी बिना किसी देरी के तत्परता से दर्ज की गई थी, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को झूठे तौर पर फंसाने की संभावना कम थी, जिसके साथ उसकी कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी। अपीलार्थी दिल्ली का निवासी भी नहीं था और अपने व्यवसाय के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश से आया था। न्यायालय में अपने बयान में, उसने अभियोजन पक्ष का पूरा समर्थन किया और बिना किसी बड़े विचलन के जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर पुलिस को दिए गए बयान को साबित किया। उन्होंने रिजवान उर्फ भूरा को हमलावर के रूप में पहचाना, जो पिस्तौल से लैस था और जिसका इस्तेमाल उसने उससे 30,000/- रुपये और चेक लूटने के लिए किया। प्रतिपरीक्षा में, शिकायतकर्ता को उस बयान (प्र.अभि.सा.-2/1) से रूबरू कराया गया, जिसमें मुख्य परीक्षण में उल्लेखित कुछ तथ्यों को दर्ज नहीं किया गया था। उसने आगे खुलासा किया कि घटना के बाद, उसने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया था और पीसीआर 30/45 मिनट बाद पहुंची थी। रिजवान उर्फ भूरा को लोगों ने पीटा था। उसने, हेड कॉन्सटेबल सोमपाल ने और 5/7 लोगों

ने टीएसआर का पीछा किया था। शिकायतकर्ता की गवाही का समग्र रूप से अवलोकन करने पर पता चलता है कि गहन प्रतिपरीक्षण के बावजूद, इसे नष्ट करने के लिए कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां या विरोधाभास नहीं निकाले जा सके थे। भले ही, शिकायतकर्ता ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कुछ सुधार किए और उसके द्वारा बताए गए तथ्यों का बयान (प्र.अभि.सा.-2/1) में उल्लेख नहीं किया गया हालांकि, ये सुधार मामूली प्रकृति के हैं और अभियोजन पक्ष के मामले की मूल संरचना को प्रभावित नहीं करते हैं। जहां तक अपीलार्थी की पहचान और अपराध में उसकी भूमिका का सवाल है, उसे पूरा यकीन था कि अपीलार्थी ही अपराध का कर्ता है। शिकायतकर्ता का अपीलार्थी को गलत तरीके से पहचानने और शनाख़्त करने का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। अपनी परीक्षा के दिन शिकायतकर्ता ने हिमाचल से यात्रा की थी और इस संबंध में एक टिकट (प्र.2/डी1) प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी को फंसाने के लिए झूठा बयान देकर उसे कोई लाभ नहीं होने वाला था। चूंकि अपीलार्थी को घटना के कुछ ही दूरी पर पकड़ा गया था, इसलिए उसे शनाख़्त की कार्यवाही में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शिकायतकर्ता ने उसे मौके पर ही पहचान लिया था। पुलिस ने टीएसआर संख्या डीएल1आरजे 1594 भी बरामद की, जिसमें हमलावर यात्रा कर रहे थे। इस टीएसआर (प्र.अभि-5) को सुपरदारी पर अभि.सा.-7 (सुनील कुमार त्यागी) को सौंप दिया गया। अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि कैसे और किन परिस्थितियों में, उनके कब्जे में मौजूद टीएसआर को पुलिस ने जब्त कर लिया। इस प्रकार अभि.सा.-7 शिकायतकर्ता

द्वारा दिए गए संस्करण की पुष्टि करता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उजागर किए गए छोटे-मोटे विरोधाभास और विसंगतियां शिकायतकर्ता की ठोस और बेदाग गवाही को निष्फल करने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले के केंद्र को प्रभावित नहीं करती हैं। सह-आरोपी आसिफ और ढिल्लू फुरकान को निर्णय में विस्तृत कारणों से दोषमुक्त करने के फलस्वरूप अपीलार्थी को दोषमुक्त नहीं होता है, जब अपराध में उसकी संलिप्तता को स्थापित करने के लिए विशिष्ट और ठोस साक्ष्य मौजूद हैं। न्यायालय सदैव इसके लिए स्वतंत्र है कि वह दोषमुक्त किए गए आरोपियों और दोषी ठहराए गए लोगों के बीच अंतर करे। सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता और अपीलार्थी की मेडिकल जांच नहीं की गई थी, इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

5. अपीलार्थी की सभी प्रासंगिक प्रस्तुतियों का अभियोजन पक्ष द्वारा आक्षेपित निर्णय में सुसंगत रूप से निपटान किया गया है और कोई विचलन अपेक्षित नहीं है। धारा 397 भा.दं.सं. के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा सात वर्ष है, जिसे कम या संशोधित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को धारा 392 भा.दं.सं. के तहत 5,000 रुपये, धारा 397 भा.दं.सं. के तहत 10,000 रुपये और धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 1,000 रुपये का भुगतान करने की सजा सुनाई गई है। धारा 397 भा.दं.सं. जुर्माना लगाने को विनियमित नहीं करती है। यह केवल कारावास की न्यूनतम सजा निर्धारित करती है जो सात साल से कम नहीं हो सकती है। इसलिए धारा 397 भा.दं.सं. के तहत लगाया

गया जुर्माना स्वीकार्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। धारा 392 भा.दं.सं. और 25 शस्त्र अधिनियम के तहत जुर्माना न चुकाने पर व्यतिक्रम सजा को घटाकर क्रमशः पंद्रह दिन और दस दिन का साधारण कारावास किया जाता है। सजा के आदेश की अन्य शर्तों को अपरिवर्तित छोड़ा जाता है।

6. उपरोक्त शर्तों में अपील का निपटान किया जाता है। विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस आदेश की प्रति के साथ तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी. गर्ग)
न्यायाधीश

23 मई, 2014
एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*